UPM0280038722025

न्यायालय अपर मु ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- सर्वेश कुमार मिश्र (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा 2073)

वाद संख्या **3341/2025**

राज्य **प्रति** इस्लाम।

**अ०सं0- 28/2025**

., **धारा-3** आर.पी (यूपी) एक्ट।

**थाना– आर०पी०एफ०पोस्ट मुरादाबाद।**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त **इस्लाम** जिला कारागार से न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित। अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना जेलर जिला कारागार, मुरादाबाद से अग्रसारित कराकर न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर कथन किया गया कि वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। वह प्रस्तुत प्रकरण को आगे चलाने में असमर्थ है। प्रार्थी को कम से कम जुर्माने से दंडित कर उसका मुकदमा समाप्त करने कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त का जुर्म इकबाल बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कम से कम जुर्माने से दंडित कर उपरोक्त वाद को समाप्त किए जाने की याचना की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **इस्लाम** को अपराध संख्या 28/2025 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। पत्रावली दंड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक 27.10.2025

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

**दिनांक 27.10.2025**

पत्रावली लंच पश्चात दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्त की ओर से अपने जुर्म इकबाल में कथन किया गया कि यह उसका प्रथम अपराध है। वह बहुत ही गरीब तथा बीमार व्यक्ति है। वह प्रस्तुत प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है। वह प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में लगभग **03 माह 27 दिन** जेल में रह चुका है। अतः अभियुक्त को कम से कम दंड से दंडित किया जाए।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा **– 3 आर.पी (यूपी) एक्ट** का अपराध साबित होता है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अथवा पूर्व में दोषसिद्धि के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म का इकबाल करते हुए स्वयं को गरीब होना तथा प्रस्तुत मामले को आगे चलाने में असमर्थता जतायी है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में लगभग **03 माह 27 दिन** जेल में रह चुका है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति, उसकी आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा **– 3 आर.पी (यूपी) एक्ट** के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए निम्नलिखित दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्त **इस्लाम** को मुकदमा अपराध संख्या 28/2025 अंतर्गत धारा–– **3 आर.पी (यूपी) एक्ट** थाना आर.पी.एफ. पोस्ट मुरादाबाद के प्रकरण में दोषी पाते हुए अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास तथा 1000/– रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 10 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त का सजायवी वारंट बनाकर अविलंब जिला कारागार प्रेषित किया जावे।

दिनांक 27.10.2025

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
दिनांक 27.10.2025

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।